सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2019/00009

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुजन सोनी आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 06/2019

1. प्यारा सिंह पुत्र श्री किशन सिंह जाति बावरी, निवासी चक 22 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार राजस्व, मुकलावा

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार मुकलावा का आदेश दिनांक 28.02.2018 का जिसकी रूह से अपीलांट को बेदखल व तावान कायम करने का आदेश दिया गया बामुराद मन्सुख है।

उपस्थित :
1.श्री ओ.पी. बतरा अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री हरवीर सिंह बराड राजकीय अधिवक्ता

:: आदेश :: **दिनांक :– 06.01.2020**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पास चक 16/17 एन.पी. पत्थर नम्बर 180/335 मुरब्बा नम्बर 26 के 15 बीघा भूमि का कब्जा काफी पुराना चला आ रहा है अब भी मौका पर अपीलांट ने कपास फसल काश्त कर रखी है। अपीलांट का परिवार भी इसी भूमि पर निभर है अपीलांट ने उपरोक्त भूमि को अलाट करवाने का प्रार्थना पत्र पूर्व में पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है। अपीलांट राजस्थान का मूल निवासी है तथा अपीलांट का पेशा खेती है तथा अपीलांट भूमि अलाट करवाने का हकदार है मगर आज तक अपीलांट को भूमि अलाट नहीं की गई यदि अलाट से पहले ही अपीलांट को बेदखल कर दिया गया तो अलाटमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश देने से पूर्व अपीलांट को सबूत व सुनवाई का मौका नहीं दिया गया यदि अवसर दिया जाता तो अपीलांट सबूत पेश कर सकता था मगर अधीनस्थ न्यायालय बिना किसी आधार पर आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी नियम की कोई पालना नहीं की बल्कि एक छपा हुआ फार्म पर आदेश पारित किया है जो आदेश की परिभाषा में हीं आता है। अपीलांट का पुराना कब्जा होने के कारण भी कानूनन अपीलांट को बेदखल नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया उसमें केवल यह लिख देना कि अवैध काश्त है जो कि सरासर गलत है क्योंकि अपीलांट का मामला अभी तक पैंडिंग चल रहा था जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता तब तक अपीलांट को बेदखल नहीं किया जा सकता। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जावे व अपीलांट को भूमि से बेदखल ना किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.02.2018 को निरस्त किया जावे।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस में कहा है कि अपीलांट के पास चक 16/17 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर प0न0 180/335, मु0न0 26 के किला नम्बर 1,2 सालम, किला नम्बर 3 में 0.240 हैक्टर, किला नम्बर 4 में 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 5 में 0.203 हैक्टर, किला नम्बर 6 में 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 07 में 0.253 हैक्टर , किला नम्बर 08 में 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 9 में 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 10 में 0.240 हैक्टर किला नम्बर 12 में 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 14 में 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 18 में 0.203 हैक्टर कुल रकबा 3.544 हैक्टर श्रवणराम पुत्र के नाम दर्ज था जो अपीलांट द्वारा जिस जमीन जो ठेका पर काश्त करता आ रहा था। श्रवणराम के नाम रकबा खारिज होने के बाद अपीलांट द्वारा उपरोक्त रकबा आवंटन करने का प्रार्थना पत्र उपजिलाधीश रायसिंहनगर में विचाराधीन है। उपतहसीलदार मुकलावा द्वारा धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत मामला दर्ज कर नोटिस दिनांक 22.02.2018 को प्रस्तुत किया, जिस पर तारीख पेशी 28.02.2019 मुकर्द की गई, जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 28.02.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ तथा जवाब सबूत के लिए समय मांगा, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर करवा लिये तथा अपीलांट को यह कहा कि दोबारा नोटिस आपके पास मगर दिनांक पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.02.2019 को कहा कि तावान जमा करवा दे, जिस पर अपीलांट ने 1236/—रूपये जमा करवा दिया, जमा करवाने के बाद भी अपीलांट को बेदखल करने लगे, अपीलांट ने नकल दरख्वास्त दी, नकल मिलते ही दिनांक 13.02.2019 को अपील पेश की। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया, जो कि रेस्पोडेन्ट ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा ना ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के सम्बन्ध में कोई कांउटर शपथ पत्र पेश कर किसी से खण्डन किया गया, इस प्रकार अपील जाहिरा तौर से इलम से मियाद के अन्दर पेश की गई। अपीलांट के द्वारा तावान की राशि जमा करवा दी है, अब यदि अपीलांट से फसल उठाने से रोका गया तो व कब्जा लिया गया तो अपीलांट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा उसके आवंटन प्रार्थना पत्र के निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव होगा क्योंकि आवंटन कब्जा के आधार पर ही किया जाता है, कब्जा के अभाव में आवंटन से भी अपीलांट वंचित हो सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इस हद तक निरस्त करना न्यायहित में आवश्यक है कि अपीलांट को आराजी जेर बहस से जब तक आवंटन पत्रावली का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक अपीलांट को बेदखल ना किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया जबकि प्रत्येक प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के अनुसार भी आवश्यक होता है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने विभिन्न न्याय निर्णयों में यही सिद्वान्त प्रतिपादित किये है कि यदि प्रभावित को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तो ऐसा निर्णय कानूनन निरस्तनीय होगा। अतः अपील स्वीकार की

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

जाकर अधीनस्थ न्यायालय को स्पष्ट निर्देश दिया जावें कि जब तक अपील का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तक अपीलांट को बेदखल ना किया जावें तथा ना ही उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उप तहसीलदार मुकलावा का निर्णय दिनांक 28.02.2018 सही है। अपील चलने योग्य नही है जब तावान एवं जुर्माना हो गया है तो अपील चलाने का अब क्या औचित्य है। वर्तमान में भूमि राजकीय है। उप तहसीलदार मुकलावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2018 विधि सम्मत् है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उप तहसील मुकलावा के चक 16/17 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर प0न0 180/335, मु0न0 26 के किला नम्बर 1,2 सालम, किला नम्बर 3 में 0.240 हैक्टर, किला नम्बर 4 में 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 5 में 0.203 हैक्टर, किला नम्बर 6 में 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 07 में 0.253 हैक्टर , किला नम्बर 08 में 0. 228 हैक्टर, किला नम्बर 9 में 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 10 में 0.240 हैक्टर किला नम्बर 12 में 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 14 में 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 18 में 0.203 हैक्टर कुल रकबा 3.544 हैक्टर नहरी भूमि पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा के तहत उप तहसीलदार मुकलावा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.20198 विधि सम्मत् प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर उप तहसीलदार मुकलावा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति उप तहसीलदार मुकलावा को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डॉ. गुंजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर